

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक:

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो० हिनू, राँची।

/राँची, दिनांक:-25.01.2022

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय:-

विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयोजित किये जाने वाले बैठक सम्मेलन, सेमिनार, व्यावसायिक परीक्षा का आयोजन, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने तथा अन्य संबंधित कार्यों हेतु रुपये 38,42,803.00 (अड़तीस लाख बयालीस हजार आठ सौ तीन रुपये) मात्र का प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत।

1. विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयोजित किये जाने वाले बैठक सम्मेलन, सेमिनार, व्यावसायिक परीक्षा का आयोजन, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने तथा अन्य संबंधित कार्यों हेतु रुपये 38,42,803.00 (अड़तीस लाख बयालीस हजार आठ सौ तीन रुपये) मात्र का प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयोजित किये जाने वाले बैठक सम्मेलन, सेमिनार, व्यावसायिक परीक्षा का आयोजन, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने तथा अन्य संबंधित कार्यों के उद्देश्य से वर्ष 2021-22 में रुपये 10,00,000.00 (दस लाख) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I)- 07/21-22 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक 06.07.2021 द्वारा प्रदान किया गया है।
3. उपर्युक्त प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष आलोच्य वित्तीय वर्ष में आवंटन निम्नवत् निर्गत है-

(राशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	प्रमंडल का नाम	कार्य का नाम	मद	निर्गत आबंटित राशि	प्र० स्वी० अंतर्गत अवशेष राशि
1.	समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्र० सं०-2, राँची।	व्यावसायिक परीक्षा।	49S470180003 69000321	रु० 0.75 लाख	रु० 2.49 लाख
2.	अग्रिम योजना प्रमंडल, राँची।	कनीय अभियंताओं का SKIPA में कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	49S470180003 69000321	रु० 1.76 लाख	
			49S470180796 69000321	रु० 5.00 लाख	0.00
	कुल			रु० 7.51 लाख	रु० 2.49 लाख

3. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के कनीय अभियंताओं का SKIPA में आयोजित कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु कुल रु० 36.375 लाख मात्र की अधियाचना मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची द्वारा की गई है, जिसके आलोक में रु० 6.76 लाख मात्र का आबंटन संबंधित प्रमंडल को उपलब्ध करा दिया गया है। अतएव, अवशेष राशि रु० 29.615 लाख मात्र का अतिरिक्त आबंटन निर्गत करने के क्रम में पूर्व की प्रशासनिक स्वीकृति को पुनरीक्षित किया जाना आवश्यक है।
4. (i) उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के कनीय अभियंताओं का SKIPA में आयोजित कम्प्यूटर प्रशिक्षण, विश्वा प्रांगण, कांके में Techno Show-cum-Workshop का आयोजन एवं झारखण्ड जल समाचार के द्वितीय प्रकाशन हेतु क्रमेण रु० 36,37,500/-, रु० 1,25,000/- एवं रु० 33,264/- मात्र की तकनीकी स्वीकृति, मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची द्वारा प्रदान की गई है।
(ii) उपर्युक्त के अतिरिक्त विभागीय अभियंताओं के लिए आयोजित होने वाली प्रथम अर्द्धवार्षिक व्यावसायिक परीक्षा का आयोजन हेतु रु० 47,039/- की तकनीकी स्वीकृति, अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-1, राँची द्वारा प्रदान की गई है।
5. उपर्युक्त कंडिका- 4 में उल्लेखित कार्यों के लिए कुल रु० 38,42,803.00 (अड़तीस लाख बयालीस हजार आठ सौ तीन रुपये) मात्र का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।
6. वित्तीय वर्ष 2021-22 में परिशिष्ट-I पर अंकित कार्यों के लिए पूर्व में प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार मद के बजट शीर्ष 49-S-4701-80-796-69-00-03-21 में रु० 5.00 लाख मात्र एवं बजट शीर्ष 49-S-4701-80-003-69-00-03-21 में रु० 5.00 लाख मात्र अर्थात् कुल रु० 10.00 (दस) लाख मात्र राशि का बजट उपबंध था तथा अद्यतन रु० 33.00 लाख मात्र अनुपूरक बजट मद- 49-S-4701-80-796-69-00-03-21 में स्वीकृत है।

7. तदनुरूप, इस प्रस्ताव पर होने वाला व्यय निम्न बजट शीर्ष के अधीन भारित होगा :-

(I) 49-S-4701-80-796-69-00-03-21	:-	Rs. 33,42,803.00
(II) 49-S-4701-80-003-69-00-03-21	:-	Rs. 5,00,000.00
Total	:-	Rs. 38,42,803.00

8. इस कार्य के अन्तर्गत जिस प्रक्षेत्र के लिए राशि की निकासी होगी उसी प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता, नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

इस राशि की निकासी के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमण्डल, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची/सिंचाई प्रमण्डल, गालूडीह/गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज/सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर-महागामा/खरकई नहर प्रमण्डल, आदित्यपुर/समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०-2, राँची/उप-निदेशक (वैज्ञानिक), गुण नियंत्रण (सिंचाई) प्रमण्डल, राँची/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट/कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल, मेदिनीनगर होंगे।

8. इस कार्य हेतु निधि की निकासी प्रमण्डल से संबंधित क्षेत्र के कोषागार से होगी।

9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

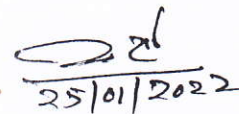
11. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

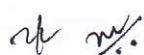
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,


(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I) 20/21-22 प्र०स्वी०/राँची, दिनांक:-25.01.2022

प्रतिलिपि:-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


25/01/2022
(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)



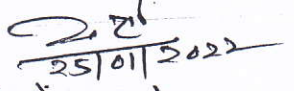






पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I) 30/21-22 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक:- 25.01.2022

प्रतिलिपि:- कोषागार, पदाधिकारी/उप-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/गढवा/देवघर/राँची/हजारीबाग/सरायकेला-खरसावाँ/साहेबगंज/उप-कोषागार, घाटशिला/तेनुघाट, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I) 30/21-22 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक:- 25.01.2022

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ संयुक्त सचिव/ संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०)/उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख-I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मॉनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, जल भवन, डोरण्डा, राँची/मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ हजारीबाग/ मेदिनीनगर/ देवघर/ईचा-गालूडीह/चांडिल कम्पलेक्स/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची/ जलपथ अंचल, हजारीबाग/बराज अंचल, गालूडीह/खरकई नहर अंचल, आदित्यपुर/समग्र योजना एवं जल विज्ञान, अंचल, राँची/सिंचाई अंचल, जसीडीह शिविर-देवघर/अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/ कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गालूडीह/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज/सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर-महागामा/कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०-2, राँची/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट/खरकई नहर प्रमण्डल, आदित्यपुर/उप-निदेशक (वैज्ञानिक), गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची/ कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमण्डल, राँची/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-2, राँची को On-line स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

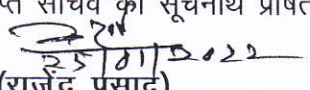
पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I) 30/21-22 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक:- 25.01.2022

प्रतिलिपि:-आयुक्त, दक्षिणी छोटानागरपुर प्रमण्डल, राँची/उत्तरी छोटानागरपुर, प्रमण्डल, हजारीबाग/कोल्हान प्रमण्डल/संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर/सभी संबंधित उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिल्लान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

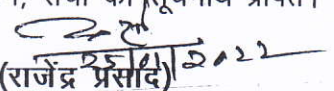
पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I) 30/21-22 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक:- 25.01.2022

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I) 30/21-22 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक:-25.01.2022

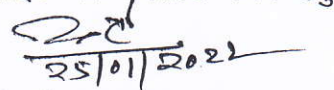
प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता (मो०)-1, 2, एवं 3, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-1/2/3/4/5/6/7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


(राजेंद्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I) 30/21-22 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक:-25.01.2022

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


25/01/2022

(राजेंद्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

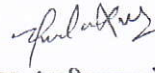
प/





योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु चेक लिस्ट :-

1	कार्य का नाम	विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, व्यावसायिक परीक्षा का आयोजन, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने तथा अन्य संबंधित कार्य हेतु रुपये 38,42,803.00 मात्र का प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
2	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	43.00 लाख
3	प्रस्तावित विकलनीय बजट शीर्ष	(i) 49-S-4701-80-796-69-00-03-21 (ii) 49-S-4701-80-003-69-00-03-21
4	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये विकलनीय बजट शीर्ष में एकमुस्त प्रावधान	(i) 49-S-4701-80-796-69-00-03-21 -रु० 38.00 लाख (ii) 49-S-4701-80-003-69-00-03-21 -रु० 5.00 लाख
5	विकलनीय बजट शीर्ष में अद्यतन निर्गत आवंटन	(i) 49-S-4701-80-796-69-00-03-21 -रु० 5.00 लाख (ii) 49-S-4701-80-003-69-00-03-21 -रु० 2.51 लाख
6	अवशेष बजट उपबंध	(i) 49-S-4701-80-796-69-00-03-21 -रु० 33.00 लाख (ii) 49-S-4701-80-003-69-00-03-21 -रु० 2.49 लाख
7	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	संलेख की कंडिका- 8 अंतर्गत।
8	नियंत्रि पदाधिकारी का पदनाम	
9	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार	विभागीय सचिव।
	(i) विभागीय सचिव रु० 5.00 करोड़ तक	
	(ii) विभागीय मंत्री रु० 5.00 करोड़ से अधिक एवं रु० 15.00 करोड़ तक	
	(iii) विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर योजना मंत्री रु० 15.00 करोड़ से अधिक एवं रु० 25.00 करोड़ तक	
	(iv) राज्य मंत्रिपरिषद रु० 25.00 करोड़ से अधिक	
10	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावित योजना/कार्य से लाभ	विभागीय पदाधिकारियों कर्मचारियों का क्षमता संवर्धन एवं अन्य कार्य।
11	योजना पूर्ण किये जाने की अवधि (वर्ष)	वर्ष 2021-22
12	क्या संलेख/स्वीकृत्यादेश प्रारूप में यथा निर्देशित अवयववार विवरणी अंकित है?	लागू नहीं।
13	भूमि उपलब्धता विवरणी :	लागू नहीं।
14	यदि योजना में भू-अर्जन की आवश्यकता है तो क्या उसका विवरण संलेख/स्वीकृत्यादेश में अंकित किया गया है ?	लागू नहीं।
15	यदि योजना में वन-भूमि अपयोजन की आवश्यकता है तो क्या उसका विवरण संलेख/स्वीकृत्यादेश में अंकित किया गया है?	लागू नहीं।
16	यदि योजना में सरकारी भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता है तो क्या उसका विवरण संलेख/स्वीकृत्यादेश में अंकित किया गया है?	लागू नहीं।


 संलेख/स्वीकृत्यादेश तैयार करने वाले
 पदाधिकारी का हस्ताक्षर